रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237559
CG-DL-E-25072022-237559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944
No. 527] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 600(अ).—वायुयान (निर्माण और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994, में संशोधन करने के क्रम में कतिपय नियम जिन्हें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 11 ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, का निम्नलिखित मसौदा, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि के बाद विचार किया जाएगा, जब भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, नागर विमानन महानिदेशक, सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने, नई दिल्ली-110003 को भिजवाए जाए या dgoffice.dgca@nic.in पर मेल किए जाए;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम वायुयान (निर्माण और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) (संशोधन), नियम, 2022 है.

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख को लागू होंगे।

2. वायुयान (निर्माण और वृक्षों आदि द्वारा कारित बाधाओं का उन्मूलन) नियम, 1994 में,—

(क) नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"**3.मालिक को अधिसूचना की तामील और उल्लंघन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**—(1) जहां अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी की गई है और संबंधित एयरोड्रोम के प्रभारी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी भवन या वृक्ष की मौजूदगी से उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो वह अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अधिसूचना की एक प्रति भवन या वृक्ष के मालिक को तामील कराएगा।

(2) संबंधित हवाई अड्डा का प्रभारी अधिकारी इस तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत नागर विमानन महानिदेशालय या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को भेजेगा।";

(ख) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"**4. विवरण जमा कराने के लिए आदेश**—(1) जहां, नागर विमानन महानिदेशक, या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी कोनियम 3 के उप-नियम (2) के तहत कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो वह, एक लिखित आदेश द्वारा, ऐसे भवन या वृक्ष के मालिक को, एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उस एयरोड्रोम के प्रभारी अधिकारी के पास, वस्तुस्थिति, जिसमें भवन, या वृक्ष की अवस्थितिदर्शाई गई हो, और उसकी लंबाई-चौड़ाई और आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे का खुलासा भी किया गया हो, प्रस्तुत करने का निदेश देगा।

(2) जहां, इस नियम के उप-नियम (1) के तहत एक आदेश जारी किया जाता है, मालिक आदेश में यथा विनिर्दिष्ट सूचना, और ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(3) मालिक को उप-नियम (1) के तहत आदेश की तामील, अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (3) में यथा निर्धारित तरीके से की जाएगी।";

(ग) नियम 7 में, उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित जाएगा, नामत: —

"(3) कोई भी मालिक जो, अधिनियम की धारा 9क के तहत अधिसूचना के लागू होने की तारीख के बाद, अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन न करके किसी भी संरचना का निर्माण करता है, वह उप-नियम (2) के तहत प्रतिपूर्ति का दावा करने का पात्र नहीं होगा।".

[फा. सं. एवी-11012/3/2022-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 28 अप्रैल 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 25 मई 2006 में प्रकाशित दिनांक 25 मई 2006 की अधिसूचना सा.का.नि. 314 (अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2022

G.S.R. 600(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Demolition of Obstructions caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11B of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Demolition of Obstructions caused by Buildings and Trees etc.) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Demolition of Obstructions caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994,—

(A) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely: —

"**3. Service of Notification on the owner and submission of report regarding violation.—** (1) Where any notification has been issued by the Central Government under subsection (1) of Section 9A of the Act and the officer-in charge of the concerned aerodrome has reason to believe that any building or tree exists in violation of the provisions of the aforesaid notification, he shall serve a copy of the notification on the owner of the building or tree, as the case may be, in accordance with the procedure laid down in sub-section (3) of Section 9A of the Act.

(2) The officer-in charge of the concerned aerodrome shall forthwith send a report of such violation to the Director General of Civil Aviation, or any officer authorised by him in this behalf.";

(B) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely: —

"4. Order to furnish details.— (1) Where, a report under sub-rule(2) of Rule 3 is received by the Director General of Civil Aviation, or any officer authorised by him in this behalf, he shall, by a written order, direct the owner of such building, or tree, to furnish to the officer-in charge of the aerodrome, within a specified period, a plan showing the location of building, or tree, and also disclosing the dimensions or any other details specified in the order.

(2) Where, an order is issued under sub-rule (1) of this rule, the owner shall be bound to furnish the information, and such details, as specified in the order.

(3) An order under sub-rule (1) shall be served upon the owner in the manner as laid down in sub-section (3) of Section 9A of the Act.";

(C) in rule 7, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(3) Any owner who, after the date of coming into force of the notification under Section 9A of the Act, constructs, or erects any structure in non-compliance of the provisions of the notification shall not be eligible to claim compensation under sub-rule (2).".

[F. No. AV-11012/3/2022-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 227, dated the 28th April, 1994, and last amended *vide* G.S.R. 314(E), dated the 25th May, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th May, 2006.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.